If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary."

[F. No. 39021/6/2010-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The Principal rules number G.S.R. 408, dated the 2nd December, 1999, were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th December, 1999.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 92.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग सहायक निदेशक (सतर्कता) भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग सहायक निदेशक (सतर्कता) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग सहायक निदेशक (सतर्कता) भर्ती नियम, 1999 में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।";

(ii) नियम 3 में "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (सतर्कता)	01*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3; (15600—39100 रु.) + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से प्रशासनिक सतर्कता प्रशिक्षण या किसी ऐसी अन्य सरकारी संस्था से, जिसे उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त हो, तुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और (ग) जिनके पास प्रशासनिक सतर्कता मामलों और संबंधित न्यायालयीन मामलों की कार्यवाही करने का तीन वर्ष का अनुभव है । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।"

[फा. सं. 39021/10/2010-स्था. (बी)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 420, तारीख 25 दिसम्बर, 1999 को द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 24th April, 2012

G.S.R. 92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Assistant Director (Vigilance) Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Assistant Director (Vigilance) Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Assistant Director (Vigilance) Recruitment Rules, 1999,—

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. Number of Post, Classification and Pay Band and Grade Pay.—The number of posts, its classification and the Pay Band and Grade Pay attached thereto shall be as speicfied in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.";

(ii) in rule 3, for the words and figures "columns (5) to (14)", the words and figures "columns (5) to (13)" shall be substituted;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Vigilance)	01*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) and Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
By deputation	**Deputation :** Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department or equivalent; or

(11)
(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4800 in the parent cadre or department or equivalent; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 in the parent cadre or department or equivalent; and (b) should have completed successfully the administrative vigilance training of the Institute of Secretariat Training and management or a comparable training from any other Government institutions recognised as equivalent thereto; and (c) should have three years experience in dealing with administrative vigilance cases and related court cases. Note 1.—Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisations or Departments of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 2.—For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary."

[F. No. 39021/10/2010-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 420, dated the 25th December, 1999.